न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 104/2016
तारीख दायर 30.09.2016

उनवान

1. पन्ना पुत्र श्रीराम जाति रेबारी निवासी बिलिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. गोदू पुत्र श्रीराम जाति रेबारी निवासी बिलिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. बगती बेवा श्रीराम जाति रेबारी निवासी बिलिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––वादीगण

बनाम

1. पूरण पुत्र केशव जाति राव निवासी बिलिया C/O ओशो फॉर्म हाउस बिलिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रतिवादी

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता वादीगण)
2. श्री नवीन निम्बार्क (अधिवक्ता प्रतिवादी)

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.01.2020

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 ग्राम बिलिया पटवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 160 की आराजी संख्या 858/774 रकबा 3 बीघा, 859/775 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 946/708 रकबा 3 बीघा, आराजी संख्या 1052/859 रकबा 0.05 बिस्वा गे.मु. आचा. कुल किता 4 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि वादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण व उसके परिवारजन काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त कृषि भूमि को किसी भी व्यक्ति विशेष को रहन, विक्रय एवं साझेदारी में नही दिया है। उक्त कृषि भूमि के आराजी संख्या 946/708 रकबा 3 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी की कृषि भूमि के सटी हुई है। जिसमें प्रतिवादीगण ने लगभग 6 माह पूर्व अवैध रूप से कब्जा (अतिक्रमण) कर अपनी भूमि में मिला लिया व अवैध रूप से दीवार का निर्माण कर अपने फॉर्म हाऊस में मिला लिया जब वादीगण को जानकारी मिली तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को अवैध अतिक्रमण कब्जा करने का ओलम्बा दिया तो प्रतिवादीगण ने कहा की तुम्हारी जमीन कि पत्थरगढ़ी करवा लेना, अगर मेरा कब्जा अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो मै मेरा अवैध अतिक्रमण हटा लूंगा जिस पर वादी ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के यहाँ पेश किया जिससे प्रकरण संख्या 20/15 दिनांक 30.04.2015 के आदेशानुसार दिनांक 05.07.2016 को पटवारी हल्का रलायता द्वारा वादीगण एवं मौतबीर व्यक्तियों की उपस्थिति में वादीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी की गई। वक्त पत्थरगढ़ी वादीगण की आराजी संख्या 946/708 रकबा 3 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण पूरण राव पुत्र केशवराव निवासी बिलिया का कब्जा पाया गया। वक्त पत्थरगढ़ी व उसके बाद वादीगण ने प्रतिवादी को कब्जा हटाने बाबत् कहा तो प्रतिवादी टालमटोल करता रहा व वादीगण की भूमि रकबा 3 बीघा से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया। वादीगण ने प्रतिवादी को दिनांक 05.07.2016 व उसके पश्चात् कब्जा हटाने को कहा तो वादीगण को प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया इसलिए वादीगण के पास वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई उपचार शेष नहीं रहा। वादीगण की भूमि आराजी संख्या 946/708 रकबा 3 बीघा भूमि से प्रतिवादी का अवैध कब्जा हटाया जाकर वादीगण को सुपूर्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादीगण को वाद कारण दिनांक 05.07.2016 से ही उत्पन्न होकर सतत् रूप से जारी है। वादपत्र अन्दर अवधि मय डुप्लीकेट कापी एवं मय

सम्मन प्रोसेस के साथ प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि ग्राम बिलिया पटवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 160 की आराजी संख्या 946/708 रकबा 3 बीघा भूमि पर प्रतिवादी पूरण राव पुत्र केशव राव निवासी बिलिया (ओशो फॉर्म हाउस) द्वारा अवैध रूप से जो अतिक्रमण व कब्जा कर रखा है उसको हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपूर्द किये जाने के डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी के सादिर फरमाई जावें। वादीगण को लगान का 50 गुणा मुआवजा प्रतिवादी पर अधिरोपित कर क्षतिपूर्ति हेतु दिलाया जावें। अन्य कोई उचित अनुतोष जो वाद के तथ्यो एवं धारा 209 आर.टी.एक्ट के तहत वादीगण को सुपूर्द हो प्रतिवादी से दिलाया जावें।

बाद जांच वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादिया को नोटिस सम्मन मय नकल वाद पत्र भेज करवाई जाकर तलब किया गया। दिनांक 23.01.2015 को प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन निम्बार्क द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी को जवाबदावा पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब दावा पेश नहीं किये जाने से दिनांक 14.08.2017 को प्रतिवादी का जवाबदावा पेश करने का अवसर समाप्त किया गया। दिनांक 22.10.2019 को साक्ष्य वादी में गवाह पी0डब्ल्यू0 1 के रूप में पन्ना पिता श्रीराम रेबारी निवासी बिलिया तहसील माण्डलगढ़ के बयान लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। गवाह पी0डब्ल्यू0 1 पन्ना पिता श्रीराम रेबारी द्वारा अपने बयान में कथन किया गया कि ग्राम बिलिया पटवार हल्का रलायता में हमारे शामलाती खाते की कृषि भूमि है जो आराजी नम्बर 946/708 रकबा 3 बीघा है। जो पन्ना, गोरधन पिता श्रीराम, बगती बेवा श्रीराम रेबारी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि का पड़ौसी खातेदार पूरण राव पिता केशवराव हाल बिलिया ओशो फॉर्म हाऊस बिलिया है जिसने हमारी भूमि की आराजी नम्बर 946/708 रकबा 3 बीघा भूमि पर करीब 4 वर्ष पूर्व अवैध रूप से अतिक्रमण कर अपनी भूमि में उक्त 3 बीघा जमीन को मिला लिया था जिस पर मुझ प्रार्थी व मेरे परिवारजन ने विपक्षी पूरण राव को ओलबा दिया तो विपक्षी ने कहा कि तुम्हारी जमीन की पत्थरगढ़ी करवा लेना, मै मेरा कब्जा हटा लूंगा जिस पर मुझ प्रार्थी ने मेरी जमीन की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जो स्वीकार किया गया जिसके प्रकरण संख्या 20/15 है, जिसकी पालना में दिनांक 05.07.2016 को मेरी जमीन की पत्थरगढ़ी की गई जिस पर मेरी जमीन की आराजी संख्या 946/708 रकबा 3 बीघा पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा पाया गया। वक्त पत्थरगढ़ी मै व अन्य मौतबीर गवाह, शंकरलाल पटवारी व गिरदावर भी उपस्थिति थे तथा मुस्तमिल मुराम से जरीब चलाकर पत्थरगढ़ी की गई। वक्त पत्थरगढ़ी भी मुझ प्रार्थी ने प्रतिवादी को कब्जा हटाने का निवेदन किया उसके पश्चात् भी हमारी जमीन से कब्जा नहीं हटाया व आज तक भी प्रतिवादी ने हमारी जमीन से कब्जा नहीं हटाया है। हमारी जमीन से प्रतिवादी का कब्जा हटाया जावें व कब्जा वापस हमें दिया जावें। मेरे द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत असल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 प्रदर्श 1 है। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा प्रदर्श 2 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

दिनांक 22.10.2019 को साक्ष्य वादी में गवाह पी0डब्ल्यू0 2 के रूप में शंकरलाल पिता गोदू रेबारी के बयान लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। गवाह पी0डब्ल्यू0 2 शंकरलाल पिता गोदू रेबारी द्वारा अपने बयान में कथन किया गया कि हमारे ग्राम बिलया पटवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ में शामलाती कृषि भूमि है जो कि 946/708 रकबा 3 बीघा है। उक्त जमीन पन्ना, गोदू पिता श्रीराम व बगती बेवा श्रीराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मै शपथकर्ता गोदू पिता श्रीराम रेबारी का पुत्र हूँ। हमारी जमीन की पत्थरगढ़ी दिनांक 05.07.2016 को की गई थी जिस समय मै भी मौजूद था। वक्त पत्थरगढ़ी हमारी आराजी संख्या 946/708 रकबा 3 बीघा पर पूरण राव पिता केशव राव का कब्जा पाया गया था। वक्त पत्थरगढ़ी भी हमने प्रतिवादी को कब्जा हटाने बाबत् निवेदन किया था फिर भी प्रतिवादी ने हमारी जमीन से कब्जा नही हटाया। वर्तमान में भी हमारी जमीन पर प्रतिवादी ने अवैध कब्जा कर रखा है व काश्त कर रहे है जिसका कब्जा हटाया जाकर वापस कब्जा हमें सुपूर्द किया जावें।

दिनांक 20.01.2020 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादिया अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस को सुना गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि ग्राम बिलिया पटवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 160 की आराजी संख्या 858/774 रकबा 3 बीघा, आराजी संख्या 859/775 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 946/708 रकबा 3 बीघा आराजी संख्या 1052/859 रकबा 0.05 बिस्वा गे.मु. आचा. कुल किता 4 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि वादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण व उसके परिवारजन काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त कृषि भूमि को किसी भी व्यक्ति विशेष को रहन, विक्रय एवं साझेदारी में नही दिया है। उक्त कृषि भूमि के आराजी संख्या 946/708 रकबा 3 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी की कृषि भूमि के सटी हुई है जिसमें प्रतिवादीगण ने लगभग 6 माह पूर्व अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया एवं अपनी भूमि में मिला लिया व अवैध रूप से दीवार का निर्माण कर अपने फॉर्म हाऊस में मिला लिया। जब वादीगण को जानकारी मिली तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को अवैध अतिक्रमण कब्जा करने का ओलबा दिया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम्हारी जमीन की पत्थरगढ़ी करवा लेना, अगर मेरा कब्जा/अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो मै मेरा अवैध अतिक्रमण हटा लूंगा जिस पर वादी ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के यहाँ पेश किया जिससे प्रकरण संख्या 20/15 दिनांक 30.04.2015 के आदेशानुसार दिनांक 05.07.2016 को पटवारी हल्का रलायता ने वादीगण एवं मौतबीर व्यक्तियों की उपस्थिति में वादीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी की गई। दिनांक 05.07.2016 को पटवारी हल्का रलायता ने वादीगण एवं मौतबीर व्यक्तियों की उपस्थिति में वादीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी की गई। वक्त पत्थरगढ़ी वादीगण की आराजी संख्या 946/708 रकबा 3 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण पूरण राव पुत्र केशवराव निवासी बिलिया का कब्जा पाया गया। वक्त पत्थरगढ़ी व उसके बाद वादीगण ने प्रतिवादी को कब्जा हटाने बाबत् कहा तो प्रतिवादी टालमटोल करता रहा व वादीगण की भूमि रकबा 3 बीघा से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया। अतः निवेदन है कि ग्राम बिलिया पटवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 160 की आराजी संख्या 946/708 रकबा 3 बीघा भूमि पर प्रतिवादी पूरण राव पुत्र केशव राव निवासी बिलिया (ओशो फॉर्म हाउस) द्वारा अवैध रूप से जो अतिक्रमण व कब्जा कर रखा है उसको हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपूर्द किये जाने के डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी के सादिर फरमाई जावें। वादीगण को लगान का 50 गुणा मुआवजा प्रतिवादी पर अधिरोपित कर क्षतिपूर्ति हेतु दिलाया जावें। अन्य कोई उचित अनुतोष जो वाद के तथ्यो एवं धारा 209 आर.टी.एक्ट के तहत वादीगण को सुपूर्द हो प्रतिवादी से दिलाया जावें।

हमनें अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम बिलिया पटवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 169, पर्चा मौका पत्थरगढ़ी ग्राम बिलिया पटवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा दिनांक 05.07.2016 तथा पत्रावली में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों, बयान गवाहों का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 946/708 रकबा 03 बीघा किस्म बारानी तृतीय ग्राम बिलिया पटवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा वादीगण की खातेदारी में स्थित कृषि भूमि है एवं उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी द्वारा अवैध अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। प्रथमदृष्टया वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर भूमि का कब्जा वादीगण को सुपूर्द करे। आदेशानुसार डिक्री अलग से तरतीब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चन्द मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.01.28 18:38:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: